

दुरभाष/Telephone: 0484-2390404

Fax:0484-2390608 e-mail- cexcochi@nic.in

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय/MINISTRY OF FINANCE, राजस्व विभाग/DEPARTMENT OF REVENUE केन्द्रीय उत्पाद, सीमाशुल्क एवं सेवा कर आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX कोचिन आयुक्तालय COCHIN COMMISSIONERATE

केन्द्रीय राजस्व भवन C.R.BUILDING, आई.एस.प्रेस रोड L.S.PRESS ROAD: कोचिन COCHIN-18

सी.सं./C.No.IV/16/04/2014.Tech

तारीख/ Dated 32, 09.2014

व्यापार सूचना /TRADE NOTICE NO: 56 /2014

विषय :सूचना अधिकार अधिनियम, 2005- प्रथम अपील अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति - संबन्धित

Sub:- Right to Information Act, 2005-Appointment of 1st Appellate Authority & CPIO - Reg.

व्यापार, उद्योग एवं आम जनता इसके साथ स्चित किया जाता है कि श्री रुचिन गुप्ता, संयुक्त आयुक्त को श्री के सी जोणी, अपर आयुक्त के स्थान पर प्रथम अपील अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है एवं कु.के.के.स्जा, उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुक्क, सीमा शुक्क एवं सेवा कर, मुख्यालय को श्री वी.पष्टियांडी, उप आयुक्त, के स्थान पर सूचना अधिकार अधिनयम, 2005 के अंतर्गत सूचना । दस्तावें की प्रकटीकरण के लिए आवेदनों / अनुरोधों को प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

Trade, Industry and General Public are hereby informed that Shri Ruchin Gupta, Joint Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax in place of Shri K.C. Johny, Additional Commissioner has been designated as First Appellate Authority and Ms. K. K. Suja, Deputy Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Central Excise Hqrs. in place of Shri V.Pazhaniyandi, Deputy Commissioner has been designated as Central Public Information Officer (CPIO) for the purpose of receiving applications/requests for disclosure of information/documents under Right to Information Act, 2005.

क्र.सं./ Sl.No.	नाम व पदनाम/Name & Designation	क्षेत्राधिकार/Jurisdiction	सी.पी.आई.ओ. का पता एवं दूरभाष सं./Address and Telephone No. of the CPIO
		॰क्षेत्र/Area	
1	श्री रुचिन गुप्ता, संयुक्त आयुक्त एवं प्रथम अपील अधिकारी/ Shri.Ruchin Gupta, Joint Commissioner & 1 st Appellate Authority	कोचिन केंद्रीय उत्पाद जैसा व्यापार शुल्क आयुक्तालय / Cochin Central Excise Commissionerate के अनुबंध -1 उल्लिखित है/ mentioned in Annexure I of Notice No.21/ dated 06.02.20	शुल्क एवं सेवा कर मुख्यालय, 2014 केंद्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस.रोड: कोचिन- 682018/ Central Excise, Customs & Service Tax Hqrs Office, Central Revenue Building, I. S. Press Road, Cochin - 682018

2 कु.के.के.सुजा, आयुक्त एवं सी.पी.आई.अ Ms.K.K. Suj Commissione	सीमा शुल्क एवं सेवा कर मुख्यालय, कोचिन./Central Excise,	सं.21/2014 दिनांक:06.02.2014 के अनुबंध - I में उल्लिखित है/As mentioned in Annexure I of Trade Notice No.21/2014 dated 06.02.2014	कंद्रीय उत्पाद शुल्क सीम शुल्क एवं सेवा कर गुख्यालय कंद्रीय राजस्व भवन आई.एस.प्रेस.रोड: कोचिन 682018/ Central Excise Customs & Service Tax Hqrs Office, Central Revenue Building, I. S. Press Road, Cochin - 682018. Phone: 0484-2390404. Fax: 0484-2390608. Email: cexcochi@excise.nic.in
---	---	---	--

(रेश्मा लखानी/RESHMA LAKHANI)

आयुक्त/COMMISSIONER

प्रति /Copy to: 1.सभी संबन्धित अधिकारी /The concerned officers

2.प्रेषण सूची 1,2,3 के अनुसार / As per Distribution List No.I, II & III. सूचना हेतु प्रति प्रस्तुत है /Copy for information submitted to :-

1. सदस्य (सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली The Member (Customs/Excise), CBEC, New Delhi.

2. निरीक्षण महानिदेशक, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, डी -ब्लॉक, आई पी एसटेट,नई दिल्ली The Director General of Inspection, Customs & Central Excise, D-Block, I.P. Estate, New Delhi.

सिस्टेमस महानिदेशक, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, होटेल समार्ट, नई दिल्ली

The Director General of Systems, Customs and Central Excise, Hotel Samrat, New Delhi. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद,सीमा शुल्क एवं सेवा कर, केरल क्षेत्र, कोचिन

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs and Service Tax, Kerala Zone, Cochin.

5. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,केलिकट एवं ट्रिवेनड्रम-इस अनुरोध के साथ कि वे इस व्यापार सूचना का व्यापक प्रचार करें और विभिन्न व्यापार संघों और आर.ए.सी. आदि के सदस्यों को भेजें The Commissioner, Central Excise, Calicut & Trivandrum with a request that they may give wide publicity to this trade notice and may be sent to various Trade Associations & members of RAC etc. also

सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचीन The Commissioner of Customs, Customs Preventive Commissionerate, Cochin.

आयुक्त (अपील),कोचिन

The Commissioner (Appeals), Cochin.

सभी महानिदेशक/मुख्य आयुक्त/निदेशालयों के आयुक्त All Director General/Chief Commissioners /Commissioners of Directorates

